यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर-II (कर निर्धारण) हल्द्वानी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर-II (कर निर्धारण) हल्द्वानी के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय कुमार मिश्रा (स.ले.प.अ) एवं श्री रवि भूषण (ले.प.) द्वारा दिनांक 19.12.2017 से 28.12.2017 तक श्री अशोक कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अजय कुमार मिश्रा एंव हर्षित जायसवाल ले.प. द्वारा दिनांक 23.03.2017 से 01.04.2017 तक श्री अमर नाथ साहू लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2015 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः कर संग्रह,

(ii) (अ) **राजस्व विवरणः**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹लाख में)
2014-15	3818.76
2015-16	4701.98
2016-17	6000.06

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षो में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

वर्ष	**बजट आवंटन**		**व्यय**		**बचत**	
	आयोजनागत	**आयोजनेत्तर**	**आयोजनागत**	**आयोजनेत्तर**	**आयोजनागत**	**आयोजनेत्तर**
2014-15						
2015-16				**शून्य**		
2016-17						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य (+) ₹	बचत (-) ₹
शून्य					

(iii) **इकाई को बजट आवंटन** इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iv) **विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:**

सचिव- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर - डिप्टी कमिश्नर - सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **नैनीताल रोड़ का पश्चिमी क्षेत्र (मुख्यता ट्रेडर्स)** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर-II (कर निर्धारण) हल्द्वानी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: - 03/2017 को विस्तृत जाँच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग–दो "ब"

प्रस्तर सं01:– बिक्री कम दिखाये जाने के कारण अनारोपित कर ₹.3.87 लाख

किसी ब्यौहारी/फर्म/संस्था को अपने कारोबार के सम्बन्ध में खरीद बिक्री के दाखिल वार्षिक विवरणी रुप पत्र–4 के अनुसार ऑकडे घोषित किये जाते है।ब्यौहारी के संगत वर्ष के आरम्भिक स्टाक एवं खरीद का योग उसके द्वारा की गयी बिक्री एवं अन्तिम स्टाक के योग के बराबर होनी चाहिये। **(बिना लाभांश)**

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर–द्वितीय वाणिज्य कर हल्द्वानी के अभिलेखो की के अनुसार निम्नलिखित पंजीकृत ब्यौहारी के कारोबार का कर निर्धारण आदेश धारा 25(7)के अन्तर्गत दिनॉक निस्तारित किये गये। कर निर्धारण आदेश व पत्रावली की जॉच के दौरान की खरीद बिक्री प्रयोग व अन्तिम स्टाक में निम्नानुसार अन्तर पाया गया :–

ब्यौहारी का नाम	क0नि0वर्ष आदेश	आ0स्टाक	खरीद	योग	अन्तिम स्टाक(–)	बिक्री जो दिखाई जानी थी	बिक्री कर निर्धारण आदेश के अनुसार (–)	अन्तर/छुपाई गयी बिक्री(₹)
सर्वश्री रौतेला मार्बल्स हल्द्वानी	2013–14 194/ 17.02. 2017	6092083.00	17644257.00	23736340.00	6257617.00	17478723.00	16703476.00	775247.00
सर्वश्री कुमॉयू इस्पात हल्द्वानी	2014–15 9/06.04. 17	20685211.00	75258796.00	95944007.00	31324490.00	64619517.00	58970682.00	5648835.00

अतएव सर्वश्री रौतेला मार्बल्स के द्वारा की गयी सीमेंन्ट,सेनेटरी,टाइल्स,मार्बल्स की बिक्री ₹ 775247.00पर 13.5प्रतिशत की दर से अनारोपित कर रु.104658.00(775247×13.5) तथा सर्वश्री कुमायूँ इस्पात प्रा0लि0 द्वारा एम0एस इंगल एम0एस0बार0आदि की बिक्री ₹ **5648835.00** पर पॉच प्रतिशत की दर से अनारोपित कर ₹.282441.75(5648835×5) अर्थात दोनो पर कुल कर ₹.387100.00(104658+282442)अनारोपित रह गया।

उपरोक्त ₹.387100.00 अनारोपित कर के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा सर्वश्री रौतेला मार्बल्स के प्रकरण में डिस्काउंट परचेज किये जाने व क्रेडिट नोट दिये जाने एवं सर्वश्री कुमायूँ इस्पात प्रा0लि0 प्रकरण में कन्जूमेबुल गुडस होने के कारण प्रस्तर निक्षेप किये जाने की टिप्पणी की गयी। किन्तु डिस्काउण्ट से सम्बन्धित क्रेडिट नोट पत्रावली पर सलग्न

नही पाये गये और न ही कर निर्धारण आदेश में क्रेडिट नोट का उल्लेख किया गया ,जहॉ तक कन्जूमेबुल गुडस का प्रश्न है वह इस आधार पर सम्प्रेक्षा को अमान्य है क्योंकि कर निर्धारण आदेश में उल्लिखित वस्तु के मूल्य को दिखलाया गया है न कि वस्तु की मात्रा को, वस्तु तो कन्ज्यूम हो गई इसलिये वस्तु की कीमत निर्मित वस्तु में शामिल हो गयी। अतएव अनारोपित कर ₹3.87 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

भाग–दो "ब"

प्रस्तर सं0 :02 **अर्थदण्ड का अनारोपण ₹1.13 लाख**

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा–58 की उपधारा–8 के अनुसार देय कर बिना किसी कारण के बिलम्ब से जमा करने पर देय कर का कम से कम दस प्रतिशत किन्तु अधिकतम 25 प्रतिशत यदि कर दस हजार रुपये तक हों और देय कर का 50 प्रतिशत यदि देय कर दस हजार रुपये से अधिक हो का प्रावधान किया गया है।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर–द्वितीय वाणिज्य कर हल्द्वानी के अभिलेखो की जॉच में पाया गया कि लेखापरीक्षा अवधि माह 04/2016 से माह 03/2017 तक में सर्वश्री शीतला आटोव्हील्स प्रा0लि0रामपुर हल्द्वानी द्वारा अपने देय कर बिलम्ब से जमा किया जाना पाया गया:–

क्र0 सं0	व्यौहारी का नाम एवं पता	कर निर्धारण वर्ष	कर की देय तिथि	जमा की दिनॉक	धनराशि रुपये में	अर्थदण्ड रुपये में
1.	सर्वश्री शीतला आटोव्हील्स प्रा0लि0रामपुर हल्द्वानी	2011–12	04/2011	31.05.2011	1128734.00	112873.00
				योग	1128734.00	112873.00

उक्त ₹112873 अनारोपित अर्थदण्ड के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा जॉचोंपरान्त कार्यवाही किये जाने की टिप्पणी की गयी। अतएव अनारोपित अर्थदण्ड ₹ 1.13 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

भाग–दो "ब"

प्रस्तर सं0 :–03 अनियमित छूट ₹ 0.11 लाख

केन्द्रीय बिक्री कर नियमावली के नियम 12 के परन्तुक के अनुसार एक एकल घोषणा पत्र में बिक्री सम्बन्धी उन सभी लेन–देनो को सम्मिलित किया जायेगा जो किसी वित्तीय वर्ष के एक त्रैमास में उन्ही दो व्यकित्यों के बीच होते है, प्रत्येक त्रैमास में परिदत्त माल के लिये पृथक घोषणा पत्र देना आवश्यक होगा।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर–द्वितीय वाण्ज्यि कर हल्द्वानी के अभिलेखो के अनुसार ब्यौहारी सर्व श्री घई ओवर सीज हल्द्वानी एक पंजीकृत व्यौहारी है। व्यौहारी के कारोबार वर्ष 2013–14 को कर निर्धारण आदेश धारा 9(2) के अन्तर्गत दिनॉक 16–01–2017 द्वारा निस्तारित किया गया। कर निर्धारण आदेश व पत्रावली की जॉच के दौरान पाया गया कि ब्यौहारी द्वारा प्रपत्र सी0 सं0 ए–1 0891224के बिरुद्ध द्वितीय तिमाही(जुलाई,अगस्त,सितम्बर)में ₹ 701732.00 का मिनिरल वाटर की बिक्री की गयी किन्तु इस प्रपत्र सी में प्रंथम त्रैमास(अप्रैल,मई,जून) की इनवाइस सं0155 दिनॉक 30.06.13 द्वारा ₹ 92005.00 पर नियमानुसार छूट अनुमन्य नही थी। फलतः अन्तरीय दर 11.5 प्रतिशत (13.5–2) से ₹ 10580.00 (92005×11.5%) अनियमित छूट दिये जाने के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा प्रथम त्रैमास की खरीद को व्यौहारी द्वारा अपने लेखो में द्वितीय तिमाही किये जाने की टिप्पणी की गयी।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा की गयी टिप्पणी सम्प्रेक्षा को इस आधार पर अमान्य है क्योकि प्रत्येक त्रैमास में परिदत्त माल के लिये पृथक घोषणा पत्र देना आवश्यक था।

अतएव अनियमित कर छूट ₹ 10580.00 का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
04/2009-10		01	
06/2010-11	01		
33/2011-12		01,02,03	01,02
38/2013-14	01	01,02	
32/2014-15		01,02,03	
52/2016-17		01,02	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर-II (कर निर्धारण) हल्द्वानी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**

   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री शशि कान्त आर्य	डिप्टी कमिश्नर

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर-II (कर निर्धारण) हल्द्वानी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र